

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/क.ले. प्रशि./2017/अलेसे-III / 2212

दिनांक :- 10/8/18

आदेश संख्या : 184/2018-19

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कार्मिकों को हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (सीपा), रानी रोड, उदयपुर-313001 में दिनांक 13/08/2018 से 05/10/2018 तक आयोजित होने वाले कनिष्ठ लेखाकार पद के आठ सप्ताह के संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिनांक 13/08/2018 को प्रातः 09:30 बजे संस्थानिक प्रशिक्षण के लिए उपस्थिति देने हेतु मनोनीत किया जाता है:-

क्र.स. (1)	कनिष्ठ लेखाकार का नाम - [लिंग नंबर] पिता का नाम, जन्म तिथि, मेरिट क्रमांक/वर्ष (2)	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय का नाम (3)
1	आंकाक्षा चौधरी - [10932] शिशुराम चौधरी, 02/03/1987, 518/2013	कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, झुंझुनूं
2	अनिल निनामा - [10306] सिमोन निनामा, 09/05/1990, 3496/2013	जिला कलक्टर (भू अभिलेख), राजस्व विभाग, प्रतापगढ़
3	अनिता कुमावत - [10570] राम गोपाल कुमावत, 30/07/1991, 1440/2013	चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, रींगंस, सीकर
4 *	अशोक चौधरी - [12820] रमेश प्रसाद चौधरी, 10/10/1989, 1632/2013	प्रभारी भौतिक सत्यापन दल, निरीक्षण विभाग, जयपुर
5	दया वत्सल शर्मा - [10331] देवी प्रसाद शर्मा, 20/03/1986, 1360/2013	उप कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, अरनोद, प्रतापगढ़
6	ज्योति - [10686] भगवान दास, 01/08/1983, 3092/2013	जिला शिक्षा अधिकारी, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद (एक्स काडर), अजमेर
7 *	ज्योति दायमा - [12237] ओम प्रकाश दायमा, 09/10/1993, 2266/2013	वित्त (अंकेक्षण) विभाग, सचिवालय, जयपुर
8 *	कमलेश कुमार मीना - [12755] श्रीयोजी राम मीणा, 04/07/1991, 2509/2013	महानिरीक्षक सीआईडी (कम्प्यूटर/एससीआरवी), गृह विभाग, जयपुर
9 *	मनोज कुमार मीणा - [12312] सुवा लाल मीणा, 08/09/1992, 1878/2013	निदेशक, निरीक्षण विभाग, जयपुर
10 *	नवदीप चंदेल - [11836] हनुमान सहाय चंदेल, 17/10/1994, 1294/2013	वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबन्ध मण्डल, जयपुर
11	नयन सुखवाल - [12771] रूप लाल सुखवाल, 13/08/1986, 1789/2013	चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, धरियावद, प्रतापगढ़
12 *	नीलम बारोलिया - [12330] कल्याण सहाय बारोलिया, 13/06/1992, 2936/2013	शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, सचिवालय, जयपुर
13 *	ओम प्रकाश मीणा - [12090] बट्टी नारायण मीणा, 14/11/1989, 1578/2013	निदेशक, निरीक्षण विभाग, जयपुर
14 *	ओम प्रकाश सन्डेला - [12085] जगदीश नारायण, 20/03/1992, 1564/2013	निदेशक, निरीक्षण विभाग, जयपुर

15	पुष्पा वर्मा - [12472] * सुरज नारायण वर्मा, 24/02/1993, 3236/2013	उच्च शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर
16	राज कुमार मीणा - [10342] भंवर लाल, 05/04/1994, 3446/2013	कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, प्रतापगढ़
17	राजवीर - [10872] उमराव प्रसाद, 02/08/1990, 74/2013	अधिकांश अभियंता, परियोजना खण्ड प्रथम, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, भीलवाड़ा
18	संदीप चौधरी - [9956] सुभाष चंद्र, 24/06/1982, 11/2013	डिपो मैनेजर, राजस्थान राज्य वेवरेज निगम लिमिटेड (एकम काडर) , सीकर
19	सरोज बिजारनियाँ - [10805] गोपाल सिंह बिजारनियाँ, 05/12/1992, 1736/2013	चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, धौद, सीकर
20	शंकर लाल काला - [12095] * धन्ना लाल काला, 01/06/1992, 1593/2013	निदेशक, निरीक्षण विभाग, जयपुर
21	सुखवीर - [9954] रणजीत सिंह, 01/08/1994, 4/2013	चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, रामगढ़ सेठान, सीकर
22	सुमन सैनी - [12920] * पन्ना लाल सैनी, 15/07/1992, 1502/2013	आयुक्त, श्रम विभाग, जयपुर
23	सुशील जोशी - [12850] शशि कांत जोशी, 13/01/1982, 1230/2013	निबन्धक, राजस्व मंडल, अजमेर
24	विक्रम कुमार मीणा - [12075] * भैरु लाल मीणा, 25/10/1994, 1522/2013	निदेशक, निरीक्षण विभाग, जयपुर
25	विक्रम सिंह - [10610] नरपत सिंह, 24/07/1985, 302/2013	उप कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, किशनगढ़, अजमेर
26	दिविजा चौधरी - {11081} शीशराम चौधरी, 12/12/1991, 2609/2013	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र , मनोहरपुर , जयपुर

उक्त प्रशिक्षण की अवधि आठ सप्ताह (सात सप्ताह का संस्थानिक प्रशिक्षण व एक सप्ताह का परीक्षा कार्यक्रम) की होगी तथा प्रशिक्षण का समय प्रातः 09:30 से सायं 06:00 बजे तक रहेगा। उक्त प्रशिक्षण अवधि में सभी प्रशिक्षणार्थियों को वेतन एवं भत्ते आदि का भुगतान उनके वर्तमान पदस्थापन कार्यालय द्वारा ही किया जायेगा।

यह प्रशिक्षण पूर्णतः गैर आवासीय है, अतः प्रशिक्षणार्थी को आवास व खान-पान आदि की व्यवस्था स्वयं के स्तर पर करनी होगी।

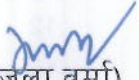
उपरोक्त सभी कार्मिकों को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 32(2) के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। अतः सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि वे उनके कार्यालय/विभाग में कार्यरत उपरोक्त समस्त कार्मिकों को प्रशिक्षण हेतु आवश्यक रूप से कार्यमुक्त करें। किसी भी कार्मिक को प्रशिक्षण से मुक्त रखना संभव नहीं होगा।

यदि कोई कार्मिक प्रशिक्षण अवधि में या प्रशिक्षण अवधि की समाप्ति के एक वर्ष की अवधि में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा से त्यागपत्र देना चाहेगा अथवा अन्य पद ग्रहण करना चाहेगा तो ऐसी स्थिति में उन्हें प्रशिक्षण अवधि में उसके द्वारा प्राप्त समस्त प्रकार के वेतन-भत्ते तथा प्रशिक्षण पर हुए व्यय की दो गुना राशि का भुगतान एकमुश्त राजकोष में जमा कराना आवश्यक होगा। सभी प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण पर उपस्थिति देते ही निर्धारित प्रपत्र (संलग्न) में बाण्ड भरकर सम्बन्धित कार्यक्रम निदेशक को प्रस्तुत करेंगे।

प्रशिक्षण की समाप्ति उपरान्त उपरोक्त सभी कनिष्ठ लेखाकार अपने वर्तमान पदस्थापन कार्यालय में ही उपस्थिति देंगे।

यदि किसी कार्मिक ने कनिष्ठ लेखाकार पद का संस्थानिक प्रशिक्षण पूर्व में प्राप्त कर लिया है तो उसे पुनः प्रशिक्षण के लिए कार्यमुक्त नहीं किया जावे। यदि किसी कार्मिक के वर्तमान पदस्थापन कार्यालय में कोई परिवर्तन हुआ है तो उसे परिवर्तित कार्यालय (वास्तविक रूप से कार्यरत कार्यालय) के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा कार्यमुक्त किया जावेगा।

उपरोक्त क्रम संख्या 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 20, 22, 24 पर * अंकित कार्मिकों का स्वयं की प्रार्थना पर उनका मनोनयन उनके स्वयं के खर्चे पर (बिना टीए/डीए) किया जाता है।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- . महानिदेशक, ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
- . प्रभारी अधिकारी, (प्रशिक्षण एवं आयोजना) ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
- . अतिरिक्त निदेशक/सहायक निदेशक, हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (रीपा), रानी रोड़, उदयपुर-313001 को मय बाण्ड फार्म प्रेषित कर अनुरोध है कि बाण्ड फार्म समस्त कार्मिकों से पूर्ति करवाकर इस विभाग को शीघ्र भिजवाने की व्यवस्था करें एवं उपरोक्त कार्मिकों को प्रशिक्षण की समाप्ति पर उनके वर्तमान विभाग/कार्यालय के लिए कार्यमुक्त कर निदेशालय को सूचित करें।
- . विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
-को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक को प्रशिक्षण हेतु आवश्यक रूप से कार्यमुक्त कर इस विभाग को अवगत करावें क्योंकि किसी भी कार्मिक को प्रशिक्षण से मुक्त रखना संभव नहीं होगा।
- . सम्बन्धित कार्मिक को प्रेषित कर लेख है कि उक्त संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में नियत तिथि/समय पर उपस्थित होकर उपस्थिति की सूचना निदेशालय को अविलम्ब भिजवाना सुनिश्चित करें, अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार की जाने वाली अनुशासनिक कार्यवाही के लिए तथा निर्धारित समयावधि में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करने के प्रतिफल के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- . अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
- . उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट हेतु)।
- . रक्षित/निजी पत्रावली।

(शिल्पी कौशिक)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)

